अंतिम तिथि 30.09.2012

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमॉक 406/आउशि/छा.शा./12/ भोपाल दिनॉक 23/7/12

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इंदोर/भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर संभाग,
   मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के सामान्य/पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकलॉग छात्रों को पीएच.डी. हेतु पुरस्कार राशि का प्रदाय ।

———0———

राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों मे अध्ययन–रतं सामान्य/पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पीएच.डी. पुरस्कार राशि वर्ष 2012–13 हेतु छात्र–छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30.09.2012 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र–छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनॉक 30.09.2012 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें । पत्र के साथ मार्गदर्शिका सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(डॉ.व्ही.एस.निरंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

बेटी है तो कल है

अंतिम तिथि 30.09.2012

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन

सतपुडा भवन, भोपाल 462004

//विज्ञापन//

शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य/पिछडा वर्ग अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलॉग विद्यार्थियों को पीएच.डी.के लिए पुरस्कार **राशि हेतु ।**

योजना वर्ष 2012--13

शिक्षा सत्र 2009--10 से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य/पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति के विकलॉग विद्यार्थियों को पीएच.डी. के लिए पुरस्कार राशि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012--13 मे भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शी सिध्दांत निम्नानुसार होंगे :--

1. **पात्रता:--** ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, तथा जिसने :--

अ. पीएच.डी. के शोध कार्य्र हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय मे **शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय व्दारा जारी किया गया हो ।**

ब.. स्नातकोत्तर उपाधि मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार सामान्य/पिछडा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलॉग विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों ।

स.. **पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति**/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकलॉग विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र हो जो कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

द. छात्र--छात्राओं की पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग व्दारा निर्धारित रूपये 1,00,000/--(रूपये एक लाख) वार्षिक की अधिकतम सीमा से अधिक न हो शासकीय सेवक (शोधार्थी के पालक) के वार्षिक आय प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के व्दारा जारी किया गया हो ।

य. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

र. सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो ।

2. वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसका पंजीयन सत्रवार अप्रेल .2012 के बाद हुआ हो ।

3. पुरस्कार राशि धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो वह कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, और न अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करेंगा यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, तो उसे इस पुरस्कार राशि का लाभ उठाने के लिये पूर्व की छात्रवृत्ति छोडना पडेगी । अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । अग्रेषण कर्ता अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्रों को अग्रेषित करेंगें ।

4. **चयन प्रकिया :--**

अ. शोधार्थियों का चयन केवल छात्रवृत्ति की संख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में कमानुसार निर्धारित कोटे अथवा सीमा तक किया जावेगा ।

बेटी है तो कल है

ब.. यदि कोई आवेदक / शोधार्थी संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करते हैं तो वहाँ एम.फिल. धारक को एम.फिल में प्राप्त अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जावेगी ।

स.. यदि दोनों आवेदक एम.फिल हों एवं समान अक हों तो जिसका पंजीयन पूर्व का है उसें प्राथमिकता दी जावेगी ।

5. पुरस्कार राशि का वितरण :– प्रोत्साहन राशि 3 चरणो में भुगतान की जावेगी ।

अ. शोध उपाधि के पंजीयन हेतु 10,000/– रूपये (पजीयन उपरांत)

ब. शोध निदेशक की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान कार्य की 60 प्रतिशत प्रगति पर रूपये 30,000/–

स. अनुसंधान कार्य पूर्ण करने एवं पीएच.डी.उपाधि प्राप्त होने पर .रूपये 60,000/–

6. **शोध प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते** हुए सामान्य/पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जावेगा । इस योजना का कियान्वयन उच्च शिक्षा के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा के कार्यालय व्दारा किया जावेगा ।

ऐसे सभी मामले में जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है , में आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

13. आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराकर इस कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल के नाम से दिनाँक 30.11.10 तक प्राप्त **हो जाना चाहिदे** । अन्य जानकारी **www.mp.gov.in/highereducationmp** उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है । साथ ही विभाग के क्षेत्रीय सभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी प्राप्त की जा सकती है ।

14. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(डॉ.व्ही.एस.निरंजन)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

बेटी है तो कल है

आवेदन का प्रारूप

शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलॉग विद्यार्थियों को पीएच.डी. करने हेतु पुरस्कार राशि हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2012–13 ।

अंतिम तिथि 30.09.2012

संकाय ....विषय.................................. पंजीयन तिथि...

1.	शोध छात्र का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.	विद्यार्थी का पता स्थायी/ पत्र व्यवहार का पता दूरभाष कं. सहित	
4.	विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है	
5.	पीएच.डी. का विषय, शीर्षक	
6.	पंजीयन क्रमॉक एवं दिनॉक छाया प्रति संलग्न करें	
7.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न करें ।	
8.	विकलांगता का प्रमाण पत्र संलग्न करें	

क्रं.	परीक्षा का नाम	वोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षाउत्तीर्णा का वर्ष	अनु कं.	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9.	पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति कलेक्टर /सक्षम प्राधिकारी व्दारा दिया गया हो ।	
10.	म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो कलेक्टर/सक्षम अधिकारी व्दारा जारी किया गया हो ।	
11.	माता पिता अभिभावक की समस्त श्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय प्रमाण पत्र कलेक्टर/तहसीलदार/कार्यालय प्रमुख व्दारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति	
12.	उस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2011–12 में परीक्षा उत्तीर्ण की हो । डिग्री /अंकसूची की प्रमाणित प्रति	
13.	पी.एचडी. की अवधि	
14.	शोध केन्द्र का नाम	
15.	मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाईड/सहमार्गदर्शक (को गाईड का विवरण) 1.नाम 2.महाविद्यालय/सेवारत संस्थानका नाम 3. पद नाम	

बेटी है तो कल है

<u>घोषणा</u>

1. मैं एतद व्दारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे व्दारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
2. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदित पुरस्कार राशि के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी ! और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।
3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि में कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी ।
4. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे व्दारा शोध अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दिये गये शर्तो के विपरीत कार्य करने पर शासन व्दारा शोध पुरूस्कार के रूप में दी गई राशि को ब्याज सहित वापिस करूंगा/करूगी ।
5. **स्थान :–**

दिनाँक :-

संलग्न :–सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

बेटी है तो कल है

शासकीय महाविद्यालय / <u>विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... को दिनाँक ....को पीएच.डी.विषय..संकाय..में नियमित / पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की जॉच कर ली है वे सही है इनका शोध केन्द्र .... एवं पंजीयन तिथि.................................... है, ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त शोधार्थी का कार्य व्यवहार एवं आचरण अच्छा / उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव / संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील

बेटी है तो कल है